

Handwritten notes in red ink at the top left corner.

Form No-111

फॉर्म अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

इसका नाम

बनाम

सरकार

किसका मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नाम्बर 131

सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की लागू म जारी किए
28/10/21	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/832-403 दिनांक 28/10/21 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>रायसिंहनगर</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>S.F.F.B.</u> की जमावंदी सम्वत् 2076-2079 वं खाता सं <u>121</u> में <u>S.B.B.S.</u></p> <p><u>रायसिंहनगर</u></p> <p>के स्थान पर <u>S.B.S. रायसिंहनगर</u></p> <p>की दुरुस्ती करने की अनुशंसा की हैं। प्राथमिक मय जज राजस्व कोर्ट में तहसीलदार नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>रायसिंहनगर</u> रायसिंहनगर की अनुशंसा के आधार पर चक <u>S.F.F.B.</u> तहसील रायसिंहनगर की जमावंदी सम्वत् <u>2076-2079</u> के खाता सं <u>121</u> में <u>S.B.B.S. रायसिंहनगर</u></p> <p>के स्थान पर <u>S.B.S. रायसिंहनगर</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p> <p>(अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर</p>	

